केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 26.12.2018

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60200
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/50964

अपीलकर्ता : श्री नांदेश सिन्हा,
द्वारा – श्री दीपांकर मोदी,
203, मुरलीनगर, पो0 – BCCL टाउनशिप,
दुर्गा मंडप के पास, पिन – 826005.

निर्णय की तारीख : 26.12.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	16.12.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	18.12.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	22.12.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना मांगी गई थी कि "क्या अपनी जमीन संबंधित जमाबंदीकी प्रमाणित छाया-प्रति हमें मिल सकती है सूचना के अधिकार के तहत RTI–आवेदन से, हां या ना ?" जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त ऑनलाईन आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 18.12.2018 के पत्र के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है, इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
26 DEC 2018
D. No.........
Initials.........